निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़ 1935 (श0)

(सं0 पटना 527) पटना, वृहस्पतिवार, 4 जुलाई 2013

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

12 अप्रील 2013

सं0 22/नि0सि0(क्षे0 वि0 प्रा0)–मुज0–6–9/2008/435––श्री रामबली सिंह , तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत को वर्ष 2000–01 से 2004–05 के दौरान रेण्डमली 48 अद्द योजनाओं के सम्पादित कार्यो में अनियमितताओं की जांच मंत्रिमंडल निगरानी (त0प0को) के द्वारा की गयी। श्री सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया गया हैः–

(1) स्वीकृत कार्यो को खंडित कर प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी, जो बिहार लोक लेखा संहिता में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल है।

(2) निविदा आमंत्रण सूचना एक मात्र स्थानीय अखबार में प्रकाशित की गयी, फलस्वरूप प्रतिस्पर्द्धात्मक दर प्राप्त नहीं हुआ। निविदा के निष्पादन में भी अनियमितता बरती गयी एवं संवेदक विशेष को लाभ पहुचाने का प्रमाण मिलना है, फलस्वरूप सरकार को वित्तीय क्षति हुयी।

(3) विभागीय स्तर से कार्यान्वित कार्यो के लिए सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन एवं निष्पादन में अनियमितताएं एवं अस्थायी अग्रिम का समायोजन नहीं किया जाना।

(4) सम्पादित योजनाओं से संबंधित राजस्व एवं अन्य कटौतियों नियमानुकूल नहीं की गयी एवं न ही संबंधित शीर्ष में जमा की गयी।

(5) योजनाओं के अंतिम विपत्र का निष्पादन एवं मापी की जांच बिहार लोक लेखा संहिता के नियमानुसार नहीं किया जाना।

(6) योजनाओं के चयन में नियमानुसार कार्यवाही नहीं किया जाना।

उक्त प्रमाणित आरोपों के संबंध में श्री रामबली सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत विभागीय संकल्प सह पठित ज्ञापांक 448 दिनांक 11.4.11 से विभागीय कार्यवाही चलायी गयी।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में आरोप सं0–2 एवं 5 प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए विभाग द्वारा जांच प्रतिवेदन संलग्न कर श्री सिंह से विभागीय पत्र सं0–593 दिनांक 11.6.12 से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव में की समीक्षा विभाग एवं सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में श्री सिंह के स्पष्टीकरण को निविदा आमंत्रण सूचना के समुचित प्रचार–प्रसार हेतु अपेक्षित कार्रवाई में कमी तथा विपत्रों की जांच बिहार लोक लेखा संहिता द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार नहीं करने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री रामबली सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को ''पेंशन से 02 (दो) प्रतिशत की कटौती एक वर्ष के लिए'' का दण्ड देने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री रामबली सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को निम्न दण्ड दिया जाता हैः–

1.''पेंशन से दो (02) प्रतिशत की कटौती एक वर्ष के लिए''।

उक्त दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री एवं बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

अतः उक्त दण्ड श्री रामबली सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 527-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in